खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री धर्मेश कुमार ठाकुर बनाम बिहार सरकार

आदेश

17.11.2025

अपीलार्थी श्री धर्मेश कुमार ठाकुर उपस्थित।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि प्रशाखा पदाधिकारी श्री अमित रंजन उपस्थित

आवेदक श्री धर्मेश कुमार ठाकुर, सम्प्रति प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा अपील दायर किया गया है। आवेदक द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक–5633 / खाद्य, पटना दिनांक–07.12.2018 को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश में पाँच वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के साथ गबन की गयी राशि की समानुपातिक वसूली का ओदश पारित है।

बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक–1025 / पटना, दिनांक–28.03.2007 के द्वारा निहित प्रावधान के तहत अपीलार्थी के द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया है।

विभागीय आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि श्री धर्मेश कुमार ठाकुर, तत्कालीन नवनियुक्त प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति के उपरांत बिहार राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ में सहायक गोदाम प्रबंधक के पद पदस्थापित) थे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पत्रांक–1687, दिनांक–05.02.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि इनके द्वारा अपराधिक षड्यंत्र कर सुनियोजित तरीके से विचलन कर चावल की कालाबाजारी करने तथा 6480 (छः हजार चार सौ अस्सी) बोरा चावल गबन कर निगम को भारी क्षति पहुँचाने की सूचना उपलब्ध करायी गई। तदुपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक–2551 दिनांक–25.03.2015 द्वारा श्री ठाकुर को निलंबित किया गया एवं नियमानुसार विभागीय कार्रवाई का संचालन इनके विरूद्ध किया गया। विभागीय कार्रवाई में विभाग के द्वारा समीक्षोपरान्त श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये, जिसके लिए विभागीय पत्रांक–520 दिनांक–01.02.2018 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री ठाकुर के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा को विभाग द्वारा स्वीकार–योग्य नहीं पाया गया। विभाग के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (VI) वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री धर्मेश कुमार ठाकुर, तत्कालीन नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षक, (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति के उपरांत बिहार राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ में सहायक गोदाम प्रबंधक के पद पदस्थापित) को पाँच वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के साथ गबन की गई राशि की समानुपातिक वसूली एवं निलंबन अवधि में बिताई गई सेवा के लिए श्री ठाकुर को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, दण्ड संसूचित किया गया तथा इन्हें निलम्बन से मुक्त किया गया।

अपीलार्थी श्री धर्मेश कुमार ठाकुर के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर वाद में अपने बचाव हेतु एक लिखित अभिकथन दायर किया गया है, जिसमें इनके द्वारा यह दावा किया गया है कि इनके विरूद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है। साथ ही साथ कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इनके द्वारा दायर किये गये बचाव अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल रूप से उन्हीं तथ्यों की पुनरावृति की गई है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। फलतः इनके द्वारा दायर किये बचाव अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

फलतः उपलब्ध अभिलेखों एवं प्ररतुत अभिकथनों के आलोक में प्रस्तुत अपील आवेदन को खारिज करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के विभागीय आदेश ज्ञापांक–5633 / खाद्य, पटना दिनांक–07.12.2018 द्वारा **पारित दण्डादेश में किसी प्रकार की सम्परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।** अतएव विभागीय आदेश ज्ञापांक–5633 / खाद्य, दिनांक–07.12.2018 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखा जाय।

तदनुसार अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0 / –	ह0 / –
(लेशी सिंह)	(लेशी सिंह)
मंत्री,	मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–	–सह–
अपीलीय प्राधिकार	अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(पूर्णिया)–50 / 2017(खंड)– 3242 खाद्य, पटना / दिनांक–26/11/2025

प्रतिलिपि–1. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया / जिला पदाधिकारी, पूर्णिया एवं अररिया / उप निदेशक (खाद्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया–सह–संचालन पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया एवं अररिया / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णिया–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया सदर एवं पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 / आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री धर्मेश कुमार ठाकुर (कोटि क्रमांक–79 / 2024), प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड–सिकटी, जिला–अररिया (तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, निगम मुख्यालय में प्रतिनियुक्त), मोबाइल संख्या–8676962451, E-Mail ID : dkt@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(पूर्णिया)–50 / 2017(खंड)– 3242 खाद्य, पटना / दिनांक–26/11/25

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।